प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तैंतीस '

[19/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 298]

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 298
माननीय विधायक - श्री रामसिंह यादव
सदन के उत्तर देने का दिनांक - 19.7.16

प्रपत्र "अ"

कार्यालय : प्रबंध संचालक

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय- बिजली नगर कॉलोनी,निश्ता परिसर,
गोविंदपुरा,भोपाल 462023

फोन आफिस 0755-2602033-34 फैक्स - 2589821

वेबसाइट :www.mpcz.co.in

सीआईएन -U40109MP2002SGC015119

प्रकाश एवं विकास

मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

क्र.प्रसं/म.क्षे./स्था./गोप./TL-183/636 भोपाल, दि. 28/6/16

प्रति,

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग,
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
भोपाल

विषय:- श्री रामसिंह यादव, मान. विधायक कोलारस (शिवपुरी) का मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी श्री ओ.पी.शर्मा की सेवाएं वापस न लिए जाने बाबत् पत्र।

~~*

इस कार्यालय के पत्र क्र.836 दिनांक 31-07-2015 के तारतम्य में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा आदेश क्रमांक 10465/स्था/6-2/2015 दिनांक 19-10-2015 के माध्यम से म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के दो कर्मचारियों की सेवाएं मान. विधायक कोलारस एवं पिछोर से वापस लेकर कंपनी को सौंपी गई थीं।

उपरोक्त विषय में कलेक्टर शिवपुरी से कंपनी कर्मचारियों को मान. विधायकों की लिपिकीय सुविधा हेतु सेवाएं उपलब्ध कराने बाबत् अभिमत चाहा गया है। अभिमत प्राप्त होते ही तदनुसार कार्यवाही कर आपको अवगत कराया जावेगा।

उक्त तारतम्य में यह भी अवगत कराया जाता है कि कलेक्टर कार्यालय के आदेश के तहत दोनों कर्मचारियों ने म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, शिवपुरी में उपस्थिति दर्ज करा दी है।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रबंध संचालक

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 278
माननीय विधायक श्री राम सिंह यादव **स्पीड पोस्ट**
सदन में उत्तर देने का दिनांक – 19.7.16

परिपत्र-ख

मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 5719 / 2016 / तेरह   भोपाल, दिनांक 5 JUL 2016

प्रति,

श्री रामसिंह यादव,
माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र 27,
कोलारस (शिवपुरी),
झाँसी तिराहा, ए.बी.रोड,
शिवपुरी, म.प्र.

विषयः निज सहायक श्री ओ.पी.शर्मा, कार्यालय सहायक श्रेणी–2, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी की सेवाएं कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी द्वारा विभाग को वापिस करने से रोकने के लिए निर्देशित करने बावत्।

:–:

आपका उक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्य सचिव महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 8.6.2016, विभाग को मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके निज सहायक के रूप में कार्यरत श्री ओ.पी.शर्मा को कलेक्टर शिवपुरी द्वारा दिनांक 19.10.2015 से उनकी सेवायें आपकी सहमति के बगैर कंपनी को वापिस किये जाने का लेख करते हुए श्री ओ.पी.शर्मा की सेवायें यथावत रखने हेतु कलेक्टर से समुचित आदेश/निर्देश जारी करने की मांग की है।

प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 19 मई,1995 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग के कर्मचारी की सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार माननीय सांसद महोदय एवं माननीय विधायक महोदय को हैं। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी राज्य शासन के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते है अतः श्री ओ.पी.शर्मा की सेवाएं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सोंपी गई हैं तथा वर्तमान में श्री ओ.पी.शर्मा कंपनी में कार्यरत हैं।

कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त आदेश के अन्तर्गत आपकी मांग अनुसार कलेक्टर शिवपुरी द्वारा राज्य शासन के किसी कर्मचारी की आपके अधीनस्थ कार्य करने हेतु पदस्थापना की जा सकती है।

(प्रमुख सचिव (ऊर्जा) द्वारा अनुमोदित)

(हस्ताक्षर) 5/7/16
(एम. धारीवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

फो-प्र.

(हस्ताक्षर)
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

प्रपत्र "स"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 298
माननीय विधायक - श्री रामसिंह यादव
सदन में उत्तर देने का दिनांक - 19.7.16

क्र.प्रसं/म.क्षे./स्था./गोप./शिका./ ग-139/836 भोपाल, दि. 31/7/15

प्रति,

कलेक्टर
जिला - शिवपुरी

विषयः- श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव, कार्या.सहा.श्रेणी-तीन की सेवाएं कंपनी को वापस सौंपे जाने के संबंध में।

संदर्भः- आपका आदेश क्र.821 दिनांक 11-02-2015

~~*

विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान आपके उपरोक्त संदर्भित आदेश की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संभागीय कार्यालय पिछोर में पदस्थ कार्यालय सहायक श्रेणी- तीन श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव की सेवाएं सचिवालयीन कार्य हेतु पिछोर विधायक को सौंपे जाने हेतु आदेशित किया गया था एवं उक्त आदेश के परिपालन मे श्री श्रीवास्तव की सेवाएं माननीय विधायक श्री के.पी.सिंह, विधानसभा क्षेत्र पिछोर के सचिवालयीन कार्य हेतु सौंपी गई है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्र.एफ ए 10-15/94/एक (1) दिनांक 19 मई 1995 के बिंदु क्र.3 के अनुसार राज्य शासन के किसी भी विभाग से कर्मचारी की सेवाए प्राप्त करने का अधिकार माननीय सांसदों और विधायकों को हैं। चूंकि म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी (लिपिक) राज्य शासन के कर्मचारी नहीं है, अतः मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लिपिक श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव, कार्या.सहा.श्रेणी-तीन की सेवाएं मान.विधायक श्री के.पी.सिंह, पिछोर के सचिवालयीन कार्य हेतु सौंपा जाना उचित नहीं है।

अतः श्री बृजेन्द्र श्रीवास्तव, कार्या.सहा.श्रेणी-तीन की सेवाएं कंपनी को वापस सौंपे जाने हेतु आदेश जारी करने का कष्ट करें।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रबंध संचालक

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल